न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
167 / 2020	17.09.2020	30.3.2026

बइजलास–चारू (आई.ए.एस.)

–:: उनवान ::–

1. मोडूलाल आत्मज नारायण जाति धाकड निवासी मोडक गांव तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1. रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र जालमा जाति धाकड निवासी मोडक गांव तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. केशोराम पुत्र स्व रामलाल जाति धाकड निवासी मोडक गांव तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. नानूबाई पत्नि स्व रामलाल जाति धाकड निवासी मोडक गांव तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री श्याम बिहारी माहेश्वरी :– वकील वादी
2. रामगोपाल कुल्मी

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयक्त खाते की भूमि ख.न. 109 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा ग्राम मोडक तहसील रामगंजमण्डी स्थित है। जिसका विभाजन वादी एवं प्रतिवादी कम 1 तथा प्रतिवापदी कम 2 व 3 के पिता एवं पति रामलाल के मध्य हुआ था। जिसमें वादी के खसरा नम्बर 109 की रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीनी0 के हिस्से आई एवं शेष रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी कम 1 व उसके भाई रामलाल जो प्रतिवादी कम 2 व 3 का पति एवं पिता था के संयक्त खाते में आई। पैमाईश कराने पर दिनांक 21.07.2020 को प्रार्थी को यह जानकारी हुई कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 124 के हिस्सा 0.50 है0 प्रतिवादीगण के कब्जे में हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि से अपना कब्जा हटाने की मनाही कर रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

अतः वादीगण के हित में विरूद्व प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 124 रकबा 124 रकबा 1.50 है0 के दक्षिणी हिस्सा रकबा 0.50 है0 वाके माल ग्राम मोडक पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने की डिकरी प्रसारित कराई जावे।

दावा वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 से 3 की ओर से श्री रामगोपाल कुल्मी एडवाकेट द्वारा वकालतनामा फिर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। जवाब काउन्टर क्लेम वादी वकील ने पेश किया। वादी के वाद तथा प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

तनकी नम्बर 1 :– आया वादी खसरा नम्बर 124 वाके माल ग्राम मोडक का अभिलिखित खातेदार है। **(वादी)**

तनकी नम्बर 2 :– आया वादी प्रतिवादीगण के विरूध वांच्छित बेदखली की डिकरी वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्राप्त करने का अधिकारी है। **(वादी)**

तनकी नम्बर 3 :– आया सेटलमेंन्ट द्वारा मौके पर पुराने बंटवारे के आधार पर खसरा नम्बरान व कब्जा दर्ज नहीं किया। **(प्रतिवादीगण)**

तनकी नम्बर 4 :– आया प्रतिवादीगण वांच्छित काउन्टर क्लेम की सहायता की डिकी (वादी प्रतिवादी का पुराने कब्जा के आधार पर रेवेन्यू रेकार्ड में मौके की स्थिति अनुसार ही रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज की जावे।) प्राप्ती का अधिकारी है। **(प्रतिवादीगण)**

तनकी नम्बर 5 :– अनुतोष

तनकी Explain की गई।

साक्ष्यवादी में गवाह वादी PW-1 मोडूलाल का शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेजात पर प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–9 तक डाले गये। गवाह से जिरह पूर्ण की गई। रिब्यूटल साक्ष्य रिजर्व रखते हुए साक्ष्यवादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी वकील को दिनांक 10.01.2025 से 08.09.2025 तक कुल 5 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराई जाने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। पुनश्चः वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया साक्ष्य प्रतिवादी खोली गई। गवाह प्रतिवादी कम–1 DW-1 रामगोपाल की तरफ से साक्ष्य शपथ पत्र आर्डर 18 रूल 4 सीपीसी दिनांक 11.09.2025 पेश किया गया। गवाह से जिरह पूर्ण की गई।

वकील उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरात हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयक्त खाते की भूमि ख.न. 109 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा ग्राम मोडक

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तहसील रामगंजमण्डी स्थित है। जिसका विभाजन वादी एवं प्रतिवादी कम 1 तथा प्रतिवापदी कम 2 व 3 के पिता एवं पति रामलाल के मध्य हुआ था। विभाजन में खसरा नम्बर 109 की रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के हिस्से आई एवं शेष रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी कम 1 व उसके भाई रामलाल जो प्रतिवादी कम 2 व 3 का पति एवं पिता था के संयक्त खाते में आई। उक्त भूमि की पैमाईश कराने पर दिनांक 21.07.2020 को प्रार्थी को यह जानकारी हुई कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 124 के हिस्सा 0.50 है0 प्रतिवादीगण के कब्जे में हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि से अपना कब्जा हटाने की मनाही कर रहे है।

अतः वादीगण के हित में विरूद्व प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 124 रकबा 124 रकबा 1.50 है0 के दक्षिणी हिस्सा रकबा 0.50 है 0 वाके माल ग्राम मोडक पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने की डिकरी प्रसारित कराई जावे। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र के साथ प्रदर्श1 लगायत प्रदर्श–9 तक पेश किये हैं।

इसके विपरित वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वादगत भूमि का बंटवारा पहले ही हो चुका था। बंटवारे अनुसार ख.न. 109 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि उत्तर में तथा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं. 1 के पिता एवं प्रतिवादी नम्बर 2 के दादा जालमा जी के हिस्से आई थी। एवं नारायण जी व जालमा जी इसी बंटवारे के अनुसार काश्त करते आ रहे थे। सेटलमेंन्ट विभाग ने इस भूमि के 2 हिस्से कर दिये ख.न. 124 रकबा 1.50 है0 व 125 रकबा 1.50 है0 लेकिन पुराने बंटवारे के अनुसार हिस्सा व रकबा कायम नहीं किया। इससे वादी के बदयान्ती आ गई और प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा बताकर यह दावा पेश कर दिया। पिछले 60–70 सालों से प्रतिवादीगण पुराने बंटवारे के अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। बतः वादी का वाद मय हर्जा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी का कान्टर क्लेम डिकरी फरमाया जावे। वादी एवं प्रतिवादी को पुराने कब्जे के आधार पर रेवेन्यू रेकार्ड में मौके की स्थिति के अनुसार ही रेवेन्यू रेकार्ड दर्ज किये जाने की डिकरी फरमाई जावे।

हमारे द्वारा बाद बहस पत्रावली का अधोपांत अवलाकन किया गया । मनन किया गया। वादी के वाद पत्र, प्रतिवादी के जवाब दावा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के संयक्त खाते की भूमि ख.न. 109 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा ग्राम मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिसका विभाजन वादी एवं प्रतिवादी कम 1 तथा प्रतिवापदी कम 2 व 3 के पिता एवं पति रामलाल के मध्य हो चुका था। जिसमें वादीनी के हिस्से आई खसरा नम्बर 109 की रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा पर प्रतिवादीगगण का कब्जा होने का कथन करते हुए उक्त भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

हटाने तथा वादिनी को उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा गया है। वाद पत्र की तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार है:–

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को साबित करने के लिये वादी वकील ने गवाह वादी PW-1 मोडूलाल के साक्ष्य शपथ पत्र के साथ प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी खाता सं. 372 ग्राम मोडक संवत 2071–741 पेश की गई जिसमें अन्य खसरा नम्बरान 1722 731, 732 के साथ ख.न. 124 भी स्थित है। अतः यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को साबित करने के लिये वादी द्वारा प्रदर्श–5 नकल पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 21.07.2000 पेश की है। जिसके अनुसार रेल्वे लाईन को मुश्तकिल बिन्दु मानकर पैमाईश की गई । जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी के खाते की भूमि ख.न. 124 के दक्षिणी भाग के 0.50 है0 भाग पर प्रतिवादी सं. 1 रामगोपाल का कब्जा है। उक्त भूमि जमाबन्दी संख्या 2054–57 के अनुसार वादी के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 इस भूमि के 0.50 है0 भू–भाग पर अतिक्रमी के रूपप में काबिज होना सिद्व होता है। अतः यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को साबित करने के लिये वादी द्वारा प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी ग्राम मोडक खाता सं 82 सवत 2071–74, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी ग्राम मोडक खाता सं 404 सवत 2004–2024, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी ग्राम मोडक खाता सं 475 सवत 2071–74, प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–7 नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम मोडक ख.न. 124 125 अवधि बन्दोबस्त दिनांक 07.07.05 से दिनांक 06.07.2025 तक, प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम मोडक संवत 2054 से सवंत 3047, प्रदर्श–9 नकल नक्शा आंशिक सवंत 2012 पेश किये हैं। तनकी नम्बर 1 व 2 की विवेचना उपरान्त उक्त समस्त दस्तावेजात इस तनकी साबित करते हैं। अतः यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 पर था। इस तनकी को साबित करने के लिए इनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया । अतः यह तनकी **खिलाफ प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3** तय की जाती है।

अतः गुणावगुण के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण कम

उपखण्ड अधिकारी

1 लगायत 3 को आदेश दिये जाते है कि वादगत भूमि ग्राम मोडक गांव तहसील रामगंजमण्डी हाल तहसील चेचट ख.न. 124 के दक्षिणी हिस्से के रकबा 0.50 है0 भूमि पर से अपना कब्जा हटाकर 30 दिवस के भीतर वादी मोडूलाल को संभलायें। यदि प्रतिवादीगण स्वेच्छा से अपना कब्जा नहीं छोडते हैं तथा वादी को नहीं सौंपते है तो वादी तहसीलदार चेचट के माध्यम से नियमानुसार पुलिस इमदाद प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 का काउन्टर क्लेम सारभूत तथ्यों के अभाव में खारिज किया जाता है। तदुनुसार डिकरी पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

चारू (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)